

15 MAY 2017

जिल्हाधिकारी कार्यालय  
नांदेजी कार्यालय  
दिनांक  
शाखा

क्र. एमव्हीआर-०९११/सीआर-५१०/का.२(५)/जा.क्र. 6939  
परिवहन आयुक्त यांचे कार्यालय,  
प्रशासकीय इमारत, ४ था मजला,  
शासकीय वसाहत, वांद्रे(पूर्व), मुंबई-५१.  
दिनांक :-

3 MAY 2017

प्रति,  
मा. जिल्हाधिकारी, ज.

जिल्हाधिकारी कार्यालय, पवनमाळ,

~~जिल्हाधिकारी कार्यालय, पवनमाळ~~

महाराष्ट्र - ४४५००९.

विषय:- लाल / अंबर दिवा वापरासंदर्भात केंद्रीय मोटार वाहन नियम, १९८९ च्या नियम १०८ मध्ये सुधारणा.

संदर्भ :- १) केंद्र शासन अधिसूचना क्र. जी.एस.आर.४२३(ई) दि. ०१.०५.२०१७.  
२) केंद्र शासन अधिसूचना क्र. एस.ओ. १३७४(ई) दि. ०१.०५.२०१७.

उपरोक्त विषयाबाबत कळविण्यात येते की, केंद्र शासनाने लाल / अंबर दिवा वापरासंदर्भात केंद्रीय मोटार वाहन नियम, १९८९ च्या नियम १०८ मध्ये सुधारणा केली आहे. सदर सुधारणेनुसार आपत्कालीन वापरासाठी निर्देशित केलेल्या वाहनाव्यतिरिक्त अन्य शासकीय वाहनावरील लाल/अंबर/निळे दिवे वापरण्याबाबत तरतूद रद्द करण्यात आली आहे. संदर्भ क्र. २ च्या अधिसूचनेद्वारे आपत्कालीन सेवांबाबत स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे.

उपरोक्त संदर्भांकित अधिसूचनेच्या प्रती पुढील कार्यवाहीसाठी सोबत पाठविण्यात येत आहेत.

सोबत:- वरिलप्रमाणे

स.बा.सहस्रबुध्द  
(स.बा.सहस्रबुध्द)  
अपर परिवहन आयुक्त,  
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1214]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 1, 2017/वैशाख 11, 1939

No. 1214]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 1, 2017/VAISAKHA 11, 1939

IMd ifjogu vkj jktekx e=ky;

vf/k|lpuk

नई दिल्ली, 1 मई 2017

**dk.vk. 1374/vk**—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 108 के उपनियम 4 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में विनिर्दिष्ट करती है कि कार्यालय ड्यूटी पर ऐसे यानों को जिन्हें निम्नलिखित आपदा और आपदा प्रबंधन कर्तव्यों के लिए नाम निर्दिष्ट किया गया है, उनके शीर्ष अग्रभाग पर बहु-रंगी लाल, नीली और सफेद बत्ती का प्रयोग करने के लिए अनुज्ञात किया जाता है:

(क) अग्नि को नियंत्रित करने से संबंधित कर्तव्यों;

(ख) पुलिस, रक्षा बलों अथवा अर्ध सैनिक बलों द्वारा कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कर्तव्य;

(ग) भूकंप, बाढ़, भू-स्खनल, चक्रवाती तूफान, सुनामी सहित प्राकृतिक आपदाओं तथा नाभिकीय आपदा, रासायनिक आपदा एवं जीववैज्ञानिक आपदा सहित मानवनिर्मित आपदाओं के प्रबंधन से संबंधित कर्तव्य;

2. किसी यान पर बहु-रंगी बत्ती का उस समय प्रयोग नहीं किया जाएगा जब वह नामनिर्दिष्ट कर्तव्य पर कार्यरत न हो।

3. प्रत्येक वर्ष, यथा स्थिति, राज्य या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का परिवहन विभाग उन प्रतिधिकारियों की सूची आम जनता की जानकारी में लाने के लिए सार्वजनिक सूचना जारी करेगा जिनको पैरा 1 म खंड (क) और खंड (ख) में विनिर्दिष्ट यानों का उपयोग करने की अनुज्ञा प्रदान की गई है और ऐसे यान ऐसे परिवहन विभाग द्वारा जारी स्टिकर को अपनी विन्डस्क्रीन पर प्रदर्शित करेगा जो निम्नलिखित रूपविधान में होगा; अर्थात् :-

“सरकार (जारी करने वाले राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का नाम) .....

अधिकारी (अधिकारी का पदाभिधान).....

यान नम्बर .....

4. एक समय बिन्दु पर एक यान के लिए पदाभिहित अधिकारी को केवल एक स्टिकर जारी किया जाएगा।